| | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| .21 | पत्रावली पेश हुई. उभयपक्ष उपस्थित. उभयपक्ष प्रा-पत्र 07 R II व धारा 151 जा॰ दी॰ पर बहस हेतु अवसर चाहते है। बहस हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है. वास्ते पत्रावली प्रा॰ पत्र 07 R II व धारा 151 जा॰ दी॰ बहस हेतु नियत दिनांक 21.9.21 को पेश हो। | |
| 9.21 | उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 12.11.21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल | |
| .11.21 | पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्षो ने प्रा-पत्र मौके पर आपत्ति पर एव प्रा॰ पत्र 07 R I व धारा 151 जा॰ दी॰ पर बहस करनी चाही। दोनो प्रा॰ पत्र पर बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 2.12.21 को पेश हो। | |
| .12.21 | पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता पर पत्रावली आदेश हेतु नियत की गई है। मैने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया, विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे मुख्य रूप से यह अ[illegible] गया कि प्रार्थिया द्वारा अपनी [illegible] आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी नं॰ 1257 मे से होकर 20 फीट चौड़ा रास्ता कायम कराना चाहा है। जब कि विपक्षीगण की आराजी नं॰ 1257 रकबा | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:35:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

18 बिस्वा आवासीय प्रयोजनार्थ 12 बिस्वा भूमि संपरिवर्तित हो चुकी है तथा शेष रकबा 06 बिस्वा के आराजी नं. 1257/1 नम्बर कायम किये जाकर बिलानाम दर्ज रेकार्ड है। चूंकि विपक्षीगण की आराजी की किस्म अब कृषि भूमि नही रहकर आवासीय भूमि हो चुकी है। ऐसी स्थिति मे आवासीय भूमि के सम्बन्ध मे इस न्यायालय का श्रवणाधिकार नही होने से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र बाबत चाहे जाने रास्ता खारीज किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब मे प्रार्थिया की ओर से यह अंकित किया गया कि प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र रास्ता दिलाये जाने हेतु दिनांक 25-12-18 को पेश किया गया है तथा विपक्षीगण द्वारा उनकी भूमि दिनांक 27-2-19 को संपरिवर्तित की गई है, ऐसी स्थिति मे विपक्षीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया विपक्षीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ सम्परिवर्तन आदेश दिनांक 27/2/19 एंव उसकी तार्ईदी मे जमाबन्दी संख्या 242 एंव पंजीकृत विक्रय पत्र पेश किये है। जिनको देखने से यह प्रकट होता है कि प्रार्थिया द्वारा जिस आराजी संख्या 1257 मे रास्ता चाहा गया है वह वर्तमान मे कृषि भूमि नही होकर आबादी आवासीय भूमि है। तथा विपक्षीगण द्वारा ऐसी आबादी आवासीय भूमि के भूखण्ड बनाकर अन्य व्यक्तियो को [illegible] किये है, ऐसी स्थिति मे आबादी भूमि के [illegible] न्यायालय का श्रवणाधिकार नही [illegible] से विपक्षीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश [illegible] नियम 11 जा. दी. स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:35:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

क्यो कि ...
किया जाकर ...
प्रस्तुत आप...
का आदेश...

अत...
आदेश 7...
जाता है।...
अन्तर्गत ...
खारीज ...
होकर ...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
--- | ---
| |

क्यों कि प्रार्थिया का मूल प्रार्थना पत्र ही निस्तारित किया जाकर ऐसी स्थिति मे वकील विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पटवारी रिपोर्ट के बारे मे किसीप्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित नही है।

:: आदेश ::

अतएव विपक्षीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है। तदनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:35:09 IST
Reason: SelfAttested